[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या 38/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 2020

सा.का.नि...........(अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 है ।
   (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्तृ होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, 21 अप्रैल 2020 से, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है। " ।

3. उक्त नियम के नियम 67 के पश्चात, इसे बाद में अधिसूचित किये जाने की तारीख से, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध -** इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो ।" ।

(फा. सं.सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर , तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किये गए और सा.का.नि. संख्या 230(अ), तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 03 अप्रैल, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।